भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.07.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 649 का उत्तर

के-रेल (सिल्वर लाइन) परियोजना

649. श्री हिबी ईडन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल सरकार ने 16.03.2022 को या उसके बाद के-रेल (सिल्वर लाइन) परियोजना हेतु अनुमोदन और अनुमति के लिए नए दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 16.03.2022 को या उसके बाद परियोजना पर पुनर्विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना पर विचार करना परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर होने की संभावना है और यदि हां, तो उन तकनीकी कारणों का ब्यौरा क्या है जिन पर सरकार द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने से पहले विचार किया जा सकता है; और

(घ) क्या सरकार को के-रेल (सिल्वर लाइन) परियोजना के संबंध में किए जा रहे विरोध की जानकारी है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या रुख है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में तकनीकी व्यवहार्यता का पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए, केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (केआरडीसीएल)

जो केरल सरकार (51%) और रेल मंत्रालय (49%) का एक संयुक्त उपक्रम है, को संरेखण योजना, रेलवे भूमि और निजी भूमि का ब्यौरा, मौजूदा रेल नेटवर्क पर क्रासिंग, परियोजना की विस्तृत जांच के लिए साइट सत्यापन के बाद क्षेत्रीय रेलों के जरिए प्रभावित रेलवे संपत्ति का विधिवत चित्रण और परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने जैसे विस्तृत तकनीकी दस्तावेजों को मुहैया कराने की सलाह दी गई है। अभी तक केआरडीसीएल द्वारा कोई भी ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ग) जी हाँ। केआरडीसीएल से ब्यौरे प्राप्त होने के बाद मिट्टी की स्थिति, प्राकृतिक जल निकासी, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, अंतर-प्रचालनीयता, मुख्यतः यात्री यातायात के साथ ऋण चुकाने की क्षमता आदि की जांच की जाएगी।

(घ) इस मंत्रालय में कई अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। उठाए जा रहे प्रमुख मुद्दे हैं:- (i) हजारों हैक्टेयर की कृषि योग्य भूमि, 20,000 हजार घर, दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान नष्ट हो जाएंगे (ii) भारतीय खाद्य निगम के लिए अंगामाली रेलवे स्टेशन को साइडिंग के रूप में परिचालित किया जा रहा है। सिल्वर लाइन विस्तार में बाधा बनेगी (iii) प्रस्तावित संरेखण कई धार्मिक अवसंरचनाओं को नष्ट कर देगा (iv) प्रस्तावित रेलपथ को मानक आमान पर तैयार किया जा रहा है, ताकि इसे मौजूदा रेलपथ नेटवर्क के साथ एकीकृत नहीं किया जा सकता है। (v) प्रस्तावित मार्ग को इस प्रकार तैयार किया जा रहा है जिससे यह पौंदुकोवाडु के निवासियों के जीवन और संपत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है जो पिछले 70 वर्षों से वहां रह रहे हैं (vi) केरल सरकार पर बड़ी राशि का ऋण है। यहां तक कि वेतन और पेंशन देने के लिए भी सरकार बड़ी राशि का ऋण ले रही है। (vii) प्रस्तावित योजना को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि भूमि को प्रस्तावित सिल्वर लाइन परियोजना के लिए अधिगृहित नहीं किया जाए।

केआरडीसीएल से ब्यौरे प्राप्त होने के बाद इन मुद्दों की जांच की जाएगी।

****